

सं. 5/21/2011- रा0भा0 (सेवा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली दिनांक 14.3.2012

कार्यालय आदेश

विषय:- केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पुर्नगठन के उपरान्त उप निदेशक (रा.भा.) के पद से संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद (वेतनमान रू. 15600-39100/- PB-3 + ग्रेड पे 7600/-) में तदर्थ पदोन्नति दिए जाने के संबंध में ।


केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पुर्नगठन के उपरान्त सृजित हुए संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पदों पर निम्नलिखित उप निदेशकों (राजभाषा) को तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के वेतनमान रू. 15600-39100/-PB-3 में ग्रेड पे 7600/- में पदोन्नति देते हुए उनके नाम के आगे दर्शाए गए मंत्रालयों/विभागों में तैनात किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय	कार्यालय जहां तैनात किया जाता है।
1.	श्री सी.पी.ढोंडियाल	सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय	वित्तीय सेवाएं विभाग
2.	श्री डी.एस. रावत	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पेट्रोलियम मंत्रालय
3.	श्री श्रवण कुमार	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
4.	श्री बाबू लाल	रक्षा मंत्रालय (वित्त)	रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

2. यह तदर्थ पदोन्नति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। यह पदोन्नति एक वर्ष या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगी। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर हुई तदर्थ नियुक्ति में नियमित नियुक्ति आदि के मामले में किसी भी तरह का हक प्रदान नहीं किया जायेगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अधिकारियों को तत्काल कार्य मुक्त कर तैनात किए गए मंत्रालय/विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दें तथा उक्त आदेश की प्रति राजभाषा विभाग को भी पृष्ठांकित करें। जिन मंत्रालयों/विभागों में इन अधिकारियों की पदोन्नति के पश्चात तैनाती की गई है उनसे भी अनुरोध है कि उनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को भेजे। जो अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें नियमानुसार दी गई पदोन्नति से डी-बार कर दिया जायेगा।

5. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि पदोन्नत हुए अधिकारियों को बिना एवजी के तत्काल कार्यभार मुक्त करे। उनके स्थान पर एवजी उपलब्ध होने पर तैनात कर दिए जायेगा।


(धर्म सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार